राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर–332001, Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ ( )एफसीए / उवसंसी / 2021–22 / 1271 दिनांक : 11-2-2022

निमित:–

मुख्य वन संरक्षक,
अरावली भवन,
जयपुर।

विषयः– Diversion of 0.7875 Ha. (Revised area 0.9060 ha.) Forest land For Construction of Missing link road from "Laxmangarh-Salasar to Rajas Via Chouhano ki dhani, Gouru ka bas, Khejaroliyan ki dhani & Miyan ki Dhani" in Rajas P.F., Range Laxmangharh, Village-Rajas, Tehsil-Laxamgarh, Distt-Sikar (Raj.)
(Proposal no. FP/RJ/ROAD/33785/2018)

संदर्भः–वन संरक्षक, जयपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 को लगाये गये ई.डी.एस. के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन भूमि डायवर्जन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/33785/2018 क्षेत्र 0.9060 हे० मे वन संरक्षक, जयपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 को लगाये गये ई.डी.एस. का जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत है–

यह है कि उक्त डायवर्जन प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर के ई.डी.एस. दिनांक 29.06.2021 के अनुसार राजस्व नक्शे एवं मौका स्थिति के अनुसार वन भूमि का सही आंकलन नहीं पाये जाने पर उनके द्वारा लगाये गये आक्षेप के क्रम में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का पुनः मौका निरीक्षण एवं वन सीमा का वन बंदोबस्त नक्शे के अनुसार सीमा ज्ञान कराये जाने पर पूर्व में प्रस्तावित 0.7875 हे० के स्थान वन भूमि 0.9060 हे० होना पाया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के पत्रांक 10300 दिनांक 14.10.2021 द्वारा 0.7875 हे० के स्थान पर 0.9060 हे० वन भूमि के संशोधित डायवर्जन प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। उक्त प्रस्ताव में पूर्व में 0.7875 हे० के अनारक्षण प्रस्ताव का क्षेत्र लिखा हुआ है जो पार्ट–I में अंकित क्षेत्र फ्रीज होने के कारण संशोधित नहीं हो पा रहा है। पूर्व प्रस्तावित क्षेत्र 0.7875 हे० के स्थान पर संशोधित क्षेत्र 0.9060 हे० करने हेतु यूजर एजेंसी ने दिनांक 07.10.2021 से अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, एफसीए, जयपुर को लिखा गया है। इसी क्रम में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी उक्त क्षेत्र को संशोधित करने हेतु निदेशक एन.आई.सी. नई दिल्ली को पार्ट–I में अंकित क्षेत्र 0.7875 हे० के स्थान पर संशोधित क्षेत्र 0.9060 करने हेतु पत्रांक 10273 दिनांक 12.10.2021 से लिखा गया है तथा प्रति अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, एफसीए, जयपुर को भी दी गई है ।(प्रति संलग्न) परन्तु अभी तक पूर्व प्रस्तावित क्षेत्र में 0.7875 हे० के स्थान पर 0.9060 हे० का संशोधन नहीं हुआ है। इस कारण ऑनलाईन पोर्टल पर पार्ट–I में डायवर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 0.7875 हे० दिखाई दे रहा है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक,
सीकर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड फतेहपुर

सेवामे ,

नोडल ऑफिसर , अरण्य भवन

जयपुर ।

विषय :- प्रस्ताव क्रमांक- **FP/RJ/ROAD/33785/2018** में एरिया परिवर्तन कराने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रस्ताव क्रमांक- **FP/RJ/ROAD/33785/2018** में रोड निर्माण कार्य हेतु डायवर्सन एरिया 0.7875 Ha. लिया गया था। विभागीय जाँच में प्रस्तावित वन भूमि का रोड निर्माण हेतु 0.9060 Ha.एरिया अधिक शामिल होना पाया गया है। उक्त प्रस्ताव को एडिट मोड में करने पर Area change option freeze होने कारण Area change नहीं किया जा सकता है।

अतः निवेदन है कि प्रस्ताव में area change option open करने की कृपा करें। ताकि संशोधित डायवर्सन एरिया के साथ प्रस्ताव को ऑनलाइन अपलोड किया जा सके।

अधिशाषी अभियंता
सा० नि० वि०
खण्ड–फतेहपुर

दिनांक:- 07.10.2021

(केशर देव जांगिड़)

स्थान :- फतेहपुर (सीकर)

राजस्थान सरकार
।। कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर ।।

क्रमांक : एफ( )2020/एफसीए/उवससी/ 10273 दिनांक :– 12/10/21

निमित्त :–

निदेशक,
एन.आई.सी.,
नई दिल्ली।

विषयः–पूर्व प्रस्तावित क्षेत्र 0.7875 है0 की जगह 0.9060 है0 करने बाबत्।

प्रसंगः– Proposal No. FP/RJ/ROAD/ 33785/2018 Construction of Missing link road from "laxmangarh salasar to rajas via chouano ki dhani, goru ka bas, khejaroliyan ki dhani and minyan ki dhani" in rajas p.f. range- laxmangarh village- rajas, tehsil-laxmangarh, district- sikar(raj) area 0.7875 ha.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पूर्व प्रस्तावित प्रस्ताव में वन सीमा का सही सीमांकन नहीं होने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के ई.डी.एस. की अनुपालना में वन सीमा का पुनः प्रमाणीकरण करने पर सड़क की लंबाई बढ़ने के कारण क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। अतः 0.7875 है0 की जगह 0.9060 है0 क्षेत्र करने की अनुमति प्रदान की जावें।

भवदीय,

(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक
सीकर

क्रमांक : एफ( )2020/एफसीए/उवससी/ 10274 दिनांक :– 12/10/21

प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक
सीकर